PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Rajasthan Patrika, Jaipur
Sunday 31st May 2015, Page: 3
Width: 24.20 cms, Height: 12.27 cms, a4r, Ref: pmin.2015-06-01.1.9

P

होलसेल दवा व्यापारी ने फर्जी बिल बनाकर बेच दी दवा, इसका उपयोग होता है नशे में भी

करोड़ों रुपयों की फैन्सीडिल जोधपुर से दूसरे राज्यों और विदेशों में सप्लाई

राजस्थान पत्रिका
एक्सक्लूसिव

जोधपुर @ पत्रिका
patrika.com

जोधपुर में होलसेल व्यापारी ने करोड़ों रुपए के फर्जी बिल बनाकर एबोट्ट कंपनी की कफ सिरप फैन्सीडिल को राजस्थान के बाहर व विदेशों में बेच दिया। व्यापारी राजेश अरोड़ा ने यह फर्जी बिल राज्य के विभिन्न शहरों की मेडिकल फर्मों के नाम से बनाए थे। जहां किसी प्रकार की कोई दवा नहीं पहुंची। जालोरी गेट राजदान मेंशन स्थित इस फर्म का नाम गोविंद मेडिकल एजेंसी प्राइवेट लिमिटेड है। जिसका जोधपुर के सहायक औषधि नियंत्रक संगठन विभाग ने लाइसेंस रद्द कर दिया है। प्रारंभिक जांच में यह दवा उत्तरप्रदेश के

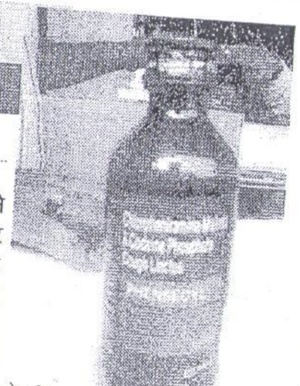

फेन्सीडाइल दवा

आगरा और नेपाल-बांग्लादेश जैसे देशों में पहुंचने की बात सामने आई है। इस दवा का उपयोग कई लोग नशे में भी करते है।

व्यापारी अरोड़ा के यहां हुई जांच में यह बात सामने आई कि अरोड़ा ने इन दवाइयों को जोधपुर से आगरा साइड में बेची। वहां से अलवर व झुंझुनूं तक इन दवाइयों की खेप पहुंची। वहां से फिर फर्जी बिल बनाकर दवा को अन्यत्र सप्लाई किया गया। जबकि फर्जी बिलों में जिन शहरों की फर्मों का उल्लेख है। वे कई वर्षों पहले बंद हो गई। इस संबंध में भरतपुर की मेडिकल फर्म ने औषधि नियंत्रण संगठन से शिकायत की थी, जिसके बाद परत दर परत जोधपुर में इस दवा का भंडाभोड़ हुआ। यह कार्रवाई 2 फरवरी को जोधपुर में हुई थी। इस मामले में 8 मई को कंपनी का लाइसेंस ही निरस्त कर दिया गया। इस मामले में फर्जी बिलों के साथ टैक्स चोर का मामला भी शामिल है।

नेपाल-बांग्लादेश में सप्लाई : फैन्सीडिल नामक दवा में कोडिन होता है। इसकी सप्लाई संभवतः नेपाल और बांग्लादेश में हुई है। बताया जा रहा है कि यहां एल्कोहॉल की बिक्री पर रोक होने के कारण दवा यहां के बाजारों में बेची गई है, जो संभवतः तय दर से दुगने दाम में विक्रय हुई है। बाजार में इसकी एक बोटल की कीमत 96 रुपए है।

पहले जोधपुर के नाम से बना फर्जी बिल

पूर्व में भी जयपुर में खांसी की दवा फैन्सीडिल का भंडारण करने वाली फिल्म कॉलोनी स्थित मित्तल फार्मा कंपनी ने जोधपुर में भी स्थानीय होलसेल दवा व्यापारियों के नाम से फर्जी बिल बनाए थे। जबकि औषधि संगठन विभाग की पूछताछ में स्थानीय व्यापारियों ने दवाइयां मंगवाने से ही इनकार कर दिया। वहीं इस बार दवा सप्लाई का सेंटर स्वयं जोधपुर सामने आया है।

1 करोड़ 66 लाख रुपए की खरीद

जांच में यह तथ्य सामने आया कि गोविंद मेडिकल के राजेश अरोड़ा ने 1 करोड़ 66 लाख रुपए की फैन्सीडिल नामक औषधि खरीदी थी। जिसमें 1 लाख 85 हजार की बॉटल का खरीदनामा हुआ। इसमें अरोड़ा ने 1 लाख 84 हजार बॉटल बेचान करने के तथ्य सामने आए है। बिल की जांच के साथ इस रैकेट से जुड़ी और फर्मों का भी पता लगाया जा रहा है।

इनका कहना

मेडिकल की कुछ दवाइयों के नशे में उपयोग किए जाने की जानकारियां हमें मिली थी। जिसके बाद हमने अभियान भी चलाया। इस दौरान अधिकारियों की कार्रवाई पर भी लगातार मॉनिटरिंग रखी जा रही है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लिया जा रहा है।
- राजेन्द्रसिंह राठौड़, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री

मैं इस संबंध ज्यादा नहीं बता पाउंगा। इतना ही बता पाउंगा कि उक्त फर्म का लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
- अशोक भंडारी, औषधि नियंत्रक, राजस्थान

इस दवा कंपनी ने राज्य के विभिन्न जिलों के नाम से फर्जी बिल बनाए थे। यह वह दुकानें है, जो बहुत साल पहले दवा का व्यवसाय भी बंद कर चुकी है। इस मामले में छानबीन जारी है।
- अजय फाटक, सहायक औषधि नियंत्रक, हैड क्वार्टर जयपुर

Miscellaneous